भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–5459 दिनांक–26.05.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–03.06.2014 में मद संख्या–06 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

6.	बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

3/6/14

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
3/6/14

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक - 11.6.14

बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली - 2014

संख्या :- भवन/स्था0-04 विविध-30/13-6214(N) भारत के संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल भवन निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की भर्ती एवं अन्य सेवा-शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह नियमावली ''बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में भवन निर्माण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

   (3i) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं ।- इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, भवन निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का लिपिकीय संवर्ग;

   (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रत है, भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता (सबंधित अंचल)।

   (iv) ''अंचल'' से अभिप्रेत है, अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के अधीन क्षेत्र।

   (v) ''नियत दिन'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के आरम्भ की तिथि;

   (vi) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है;

   (vii) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार कर्तव्य अवधि में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

   (viii) विभागीय प्रोन्नति समिति से अभिप्रेत है विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति।

3 संवर्ग की संरचना- लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नानुसार होगी:-

क्रम संख्या	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

Scanned with OKEN Scanner

4 संवर्ग बल।- संवर्ग बल ऐसा होगा जैसा भवन निर्माण विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किया जाएगा।

5 भर्ती।-

(1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद पर नियुक्ति की अर्हता वाले पात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से, वरीयता के आधार पर, भरे जायेंगे । सीधी भर्ती के लिए 85% पदों के 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

(2) सभी आरंभिक भर्ती, आयोग की अनुशंसा पर, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार, प्रत्येक वर्ष की एक अप्रील के आधार पर, रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना प्रेषित करेगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद, नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैद्यता, अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से , एक वर्ष के लिए होगी।

6 अर्हता।- (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमिडियेट (10+2) या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिये न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधितम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, निश्चित की जाय।

7 आरक्षण।- राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा अधिसूचित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन भर्ती एवं प्रोन्नति में आवश्यक होगा।

8 प्रोन्नति द्वारा भर्ती ।- (1) नियुक्ति प्राधिकार निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

9 <u>परिवीक्षा एवं प्रशिक्षण ।-</u>

(1) प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर सामान्यतया दो वर्षो के लिए होगी और विशेष परिस्थिति में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नही हो । ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

(2) विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा परन्तु यदि अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ससमय अथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नही किए जाने पर, प्रोन्नति बाधित नही होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उतीर्णता आवश्यक होगी

10 विभागीय परीक्षा।- (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उतीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र-1

सेवा नियमावली - बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण ।

पत्र-2

वितीय नियमावली - कोषागारसंहिता, वितीय नियमावली, प्रैक्टिस एवं प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11 सम्पुष्टि।- कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12 वरीयता।- संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होगें जो संबंधित भर्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये है,

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबांधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13 प्रोन्नति।-मूल कोटि से उच्चतर कोटि में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय - समय पर, निश्चित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जा सकेगी।

14 संवर्ग का स्तर ।- यह संवर्ग अंचल स्तरीय होगा।

15 स्थानांतरण / पदस्थापन।-

(i) अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्र के भीतर इनका स्थानान्तरण/ पदस्थापन कर सकेंगे।

(ii) विभागीय सचिव/अभियंता प्रमुख एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण/ पदस्थापन कर सकेंगे ।

(iii) विभागीय सचिव सहायक प्रशासी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे

Scanned with OKEN Scanner

16 अवशिष्ट मामले ।- ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हों, इस संवर्ग के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

17 कठिनाईयों का निराकरण।- सरकार (भवन निर्माण विभाग) समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष आदेश जो इस नियमावली से संगत हों जारी कर सकेगें, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

18 निर्वचन ।- जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहां मामला समान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19 निरसन एवं व्यावृति ।- (1) इस संवर्ग से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प / अनुदेश के अधीन प्रदत किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कर्रवाई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

संख्या-भवन /स्था०-04-विविध-30/13 बिहार भवन निर्माण विभाग लिपिकीय सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली - 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली-2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(चंचल कुमार)

सरकार के सचिव।

Scanned with OKEN Scanner